रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 519] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 1974/पौष 6, 1896

No. 519] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 1974/PAUSA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th December 1974

S.O. 736(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Tyres and Tubes (Movement Control) Order, 1974, namely:—

1. (1) This Order may be called the Tyres and Tubes (Movement Control) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In sub-clause (c) of clause 2 of the Tyres and Tubes (Movement Control) Order, 1974—

(a) item (iii) shall be omitted;

(b) the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that nothing in this sub-clause shall apply to old and unserviceable tyres and tubes."

[No. F. 1(19)/74-LRG]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1974

एस० ओ० 736 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टायर और ट्यूब (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम टायर ट्यूब (संचालन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. टायर और ट्यूब (संचालन नियन्त्रण) आदेश, 1974 के खण्ड 2 के उपखण्ड (ग) में, —

(क) मद (iii) का लोप किया जाएगा ;

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस उपखण्ड की कोई भी बात ऐसे टायर और ट्यूबों को लागू नहीं होगी जो पुराने हैं और मरम्मत के योग्य नहीं हैं ।" ।

[सं० फा० 1(19)/74—एच० आर० जी०]

सुरेश कुमार मङ्गल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974